

Department of Agriculture Govt. Of Bihar

Physical and Financial Target, Achievement and main issues under ATMA/PMKSY Schemes

Presented by :-

Ganesh Ram

Director

BAMETI, Bihar, Patna

Allocation and SEWP under SAME/PMKSY 2016-17

S.No.	Name of the Scheme	GOI Allocation / Released (Rs. In Lakh)	State Share (Rs. In Lakh)	SEWP (Rs. In Lakh)	Sanction (Rs. In Lakh)	Remarks
1.	ATMA	3073.00	2049.112	5122.78	In Process	
2.	ATMA for PMKSY	446.86	297.91	744.77	In Process	Release of F.Y. 2015-16

Note-

1. Preparation of Rabi Maha Abhiyan 2016.
2. Expenditure should be done as per SEWP 2016-17.
3. Amount will be released as per actual expenditure incurred or uploaded on ERMS Portal.

District wise Financial Target and Achievement under ATMA Schemes

					Fin.: Rs. In Lakh
Sl. No	District	Financial Target	Expenditure up to 31.08.16	% Expenditure	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Banka	107.513	68.741	63.9	1
2	Katihar	144.494	62.986	43.6	2
3	Araria	100.883	42.899	42.5	3
4	Samastipur	166.071	67.627	40.7	4
5	Aurangabad	102.123	40.563	39.7	5
6	Madhepura	111.449	40.562	36.4	6
7	Siwan	153.285	49.116	32.0	7
8	Muzaffarpur	119.244	37.830	31.7	8
9	Nalanda	163.127	50.834	31.2	9
10	Jehanabad	85.397	24.896	29.2	10
11	Patna	176.571	51.404	29.1	11
12	Buxar	116.753	33.963	29.1	12
13	Gaya	193.417	51.874	26.8	13

Sl. No	District	Financial Target	Expenditure up to 31.08.16	% Expenditure	Remarks
1	2	3	4	5	6
14	Begusarai	153.280	39.524	25.8	14
15	Bhagalpur	132.174	33.734	25.5	15
16	Sitamarhi	128.405	30.664	23.9	16
17	Vaishali	147.189	29.940	20.3	17
18	Darbhanga	153.515	30.968	20.2	18
19	Saharsa	110.358	22.026	20.0	19
20	East Champaran	205.208	39.967	19.5	20
21	Sheohar	69.626	12.726	18.3	21
22	Gopalganj	128.239	23.108	18.0	22
23	Lakhisarai	89.632	16.020	17.9	23
24	Saran	166.226	26.412	15.9	24
25	Khagaria	91.557	14.453	15.8	25
26	Purnea	127.469	19.917	15.6	26

					Fin.: Rs. In Lakh
Sl. No	District	Financial Target	Expenditure up to 31.08.16	% Expenditure	Remarks
1	2	3	4	5	6
27	Rohtas	147.125	21.775	14.8	27
28	Bhojpur	124.774	17.161	13.8	28
29	Jamui	114.593	15.616	13.6	29
30	Nawada	132.474	16.856	12.7	30
31	Sheikhpura	80.257	9.715	12.1	31
32	Madhubani	169.156	17.647	10.4	32
33	Munger	107.283	10.836	10.1	33
34	Arwal	66.446	6.542	9.8	34
35	Supaul	120.603	11.818	9.8	35
36	Kishanganj	84.627	6.877	8.1	36
37	West Champaran	136.880	10.387	7.6	37
38	Kaimur	112.133	7.084	6.3	38
39	BAMETI	283.224	56.173	19.8	
	Total	5122.7795	1171.241	22.9	

District wise Total Expenditure of ATMA Scheme up to 31, August 2016

क्रम सं.	Top 10 Districts				
	जिला का नाम	प्रशिक्षण			
		वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
1	Muzaffarpur	6.48	6.34	97.8	1
2	W. Champaran	7.11	6.65	93.5	2
3	Kishanganj	2.77	2.38	86.0	3
4	Bhojpur	5.53	4.25	76.8	4
5	Purnea	5.53	3.55	64.2	5
6	Saharsa	3.95	2.36	59.6	6
7	Samastipur	7.90	4.61	58.4	7
8	Arwal	1.98	1.10	55.7	8
9	Banka	4.35	2.45	56.3	9
10	Madhubani	8.30	4.27	51.5	10

क्रम सं.	Worst 10 Districts				
	जिला का नाम	प्रशिक्षण			
		वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
29	Vaishali	6.32	1.62	25.7	29
30	Aurangabad	4.35	0.95	21.7	30
31	Darbhanga	7.19	1.52	21.1	31
32	Lakhisarai	2.77	0.55	19.9	32
33	Rohtas	7.51	1.22	16.2	33
34	Gaya	9.72	1.24	12.8	34
35	Begusarai	7.11	0.80	11.3	35
36	Araria	3.56	2.61	73.4	36
37	Kaimur	4.35	0.00	0.0	37
38	Nalanda	204.31	85.79		38

District wise Total Expenditure of ATMA Scheme up to 31, August 2016

क्रम सं.	Top 10 Districts				
	जिला का नाम	प्रत्यक्षण			
		वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
1	Araria	2.520	4.600	182.5	1
2	Siwan	5.320	4.242	79.7	2
3	Katihar	4.480	3.275	73.1	3
4	Sitamarhi	4.760	3.220	67.6	4
5	Sheikhpura	1.680	0.960	57.1	5
6	Saharsa	2.800	1.290	46.1	6
7	Samastipur	5.600	2.500	44.6	7
8	Gaya	6.720	2.880	42.9	8
9	Jehanabad	1.960	0.840	42.9	9
10	Jamui	2.800	1.200	42.9	10

क्रम सं.	Worst 10 Districts				
	जिला का नाम	प्रत्यक्षण			
		वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
29	Kishanganj	1.960	0.000	0.0	29
30	Madhubani	5.880	0.000	0.0	30
31	Muzaffarpur	4.480	0.000	0.0	31
32	Nalanda	5.600	0.000	0.0	32
33	Nawada	3.920	0.000	0.0	33
34	Purnea	3.920	0.000	0.0	34
35	Saran	5.600	0.000	0.0	35
36	Sheohar	1.400	0.000	0.0	36
37	Supaul	3.080	0.000	0.0	37
38	W. Champaran	5.040	0.000	0.0	38

District wise Total Expenditure of ATMA Scheme up to 31, August 2016

Top 10 Districts

क्रम सं.	जिला का नाम	परिदर्शन वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
1	Araria	1.14	1.38	121.0	1
2	Madhepura	1.65	0.71	43.2	2
3	Saran	2.54	0.92	36.2	3
4	Sheikhpura	0.76	0.27	35.4	4
5	Katihar	2.03	0.62	30.7	5
6	Jehanabad	0.89	0.24	26.4	6
7	Nalanda	2.54	0.62	24.3	7
8	Patna	2.92	0.65	22.2	8
9	Munger	1.14	0.16	14.3	9
10	Gopalganj	1.78	0.24	13.3	10

Worst 10 Districts

क्रम सं.	जिला का नाम	परिदर्शन वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
29	Madhubani	2.667	0.00	0.0	29
30	Nawada	1.778	0.00	0.0	30
31	Rohtas	2.413	0.00	0.0	31
32	Saharsa	1.27	0.00	0.0	32
33	Samastipur	2.54	0.00	0.0	33
34	Sheohar	0.635	0.00	0.0	34
35	Siwan	2.413	0.00	0.0	35
36	Supaul	1.397	0.00	0.0	36
37	Vaishali	2.032	0.00	0.0	37
38	W. Champaran	2.286	0.00	0.0	38

District wise Total Expenditure of ATMA Scheme up to 31, August 2016

क्रम सं.	Top 10 Districts				
	जिला का नाम	कृषक हितार्थी समूहों का गठन			
		वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
1	Munger	2.70	2.34	86.67	1
2	Sheikhpura	1.80	1.50	83.33	2
3	Jamui	3.00	2.20	73.33	3
4	Sheohar	1.50	1.00	66.67	4
5	Gaya	7.20	3.65	50.69	5
6	Samastipur	6.00	2.25	37.50	6
7	Katihar	4.80	1.80	37.50	7
8	Nalanda	6.00	2.07	34.50	8
9	Araria	2.70	0.88	32.52	9
10	Aurangabad	3.30	0.80	24.24	10

क्रम सं.	Worst 10 Districts				
	जिला का नाम	कृषक हितार्थी समूहों का गठन (बी 5)			
		वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
29	Nawada	4.20	0.00	0.00	29
30	Purnea	4.20	0.00	0.00	30
31	Rohtas	5.70	0.00	0.00	31
32	Saharsa	3.00	0.00	0.00	32
33	Saran	6.00	0.00	0.00	33
34	Sitamarhi	5.10	0.00	0.00	34
35	Siwan	5.70	0.00	0.00	35
36	Supaul	3.30	0.00	0.00	36
37	Vaishali	4.80	0.00	0.00	37
38	W. Champaran	5.40	0.00	0.00	38

District wise Total Expenditure of ATMA Scheme up to 31, August 2016

Top 10 Districts

क्रम सं.	जिला का नाम	किसान पाठशाला			
		वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
1	Siwan	11.177	7.805	69.8	1
2	Araria	5.295	3.406	64.3	2
3	Patna	13.53	8.538	63.1	3
4	Samastipur	11.766	5.883	50.0	4
5	Saran	11.766	5.383	45.8	5
6	Gaya	14.119	6.166	43.7	6
7	Nalanda	11.766	4.824	41.0	7
8	Banka	6.471	2.166	33.5	8
9	Aurangabad	6.471	2.117	32.7	9
10	Sheikhpura	3.530	0.930	26.3	10

Worst 10 Districts

क्रम सं.	जिला का नाम	किसान पाठशाला			
		वित्तीय			
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	रैंक
29	Lakhisarai	4.118	0	0	29
30	Madhepura	7.648	0	0	30
31	Madhubani	12.354	0	0	31
32	Muzaffarpur	9.412	0	0	32
33	Nawada	8.236	0	0	33
34	Purnea	8.236	0	0	34
35	Saharsa	5.883	0	0	35
36	Sheohar	2.941	0	0	36
37	Supaul	6.471	0	0	37
38	W. Champaran	10.589	0	0	38

Success Stories Not Obtained from the following districts in prescribed format

Araia, Arwal, Darbhanga, Kishanganj, Lakhisarai, Muzaffarpur, Nawada, Patna, Nalanda, Saharsa, Saran and West Champaran

Note –

- 1. Send Success Story in Prescribed format in Hindi and English**
- 2. Colour photo of Farmers and work done with farmers photo should be enclose/uploaded.**

Block , Panchayat, and Village wise list of villages (not submitted in prescribed format) :

- 1. W. Champaran**
- 2. Supaul**
- 3. Saharsa**
- 4. Khagaria**
- 5. Siwan**
- 6. Samastipur**

Work done by ATMA in PPP Mode during 2016-17

S. N.	Name of the District	No. Of NGO concerned	No. Of Activities Taken	No. Of Beneficiaries	Financial Support (Rs. In Lakh)
1.	Munger	02	02	99	4.32

Main Issues for compliance

S.No.	Name of the activities	Name of the districts that have complied	Remarks
1.	Sansad Adarsh Gram Yojana	Jamui, Munger, Shekhpura	
2.	Constitution of FPO	Nalanda Gaya Munger East Champaran Jamui	02 - 04 04 03
3.	List of Input Dealers for conducting DAESI programme	Buxar, Muzaffarpur , Nalanda, Patna, East Champaran and Bhagalpur	

Other Main Issues to be complied/ for information

S.No.	Details of Issues	Remarks
1.	The fund of RKVY/ATMA/SMAM/Soil Health Card/NFSM routed through BAMETI/ATMA, in 2015-16 and expensed, their vouchers should be submitted to BAMETI for adjustment in treasury/ A.G.	All DAO/PD
2.	Upload MPR on ERMS portal on 2 nd date of each month	
3.	10% amount of ATMA scheme should be incurred in PPP mode	
4.	Preparation of 02-03/08-10 Minutes short duration film.	
5.	Preparation of reservation roaster for contractual employment of BTM/ATM/Accountant/Computer Operator and send the vacant post report	PD
6.	Date of audit for RKVY/ATMA/SMAM/Soil Health Card/NFSM 2015-16.	All DAO/PD
7.	Proposal for skill training (wanting)	

किसान पुरस्कार योजना 2016-17

- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन द्वारा नई आत्मा योजना में कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम एवं प्रभावकारी बनाया जाना है।
- इसके लिए प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण, परिभ्रमण, किसान पाठशाला का संचालन, कृषक हित समूह का गठन, खाद्य सुरक्षा समूह का गठन आदि के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीकी को हस्तान्तरित करते हुए बिहार के किसानों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया जाएगा। किसान मेला/गोष्ठी/सम्मेलन/कर्मशाला/किसान वैज्ञानिक संवाद आदि का आयोजन करके किसानों को कार्य कुशल बनाया जाएगा।
- राज्य में अतिविशिष्ट/ उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों की सफलताओं को अन्य किसानों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित किया जाना है।
- इसलिए सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) 2016-17 अंतर्गत प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों यथा उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी आदि में अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु किसान पुरस्कार योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

2. कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य—

- i. अतिविशिष्ट / उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों की उपलब्धियों को अन्य किसानों के बीच प्रचारित करना ताकि वे इसे अपनाकर इसका लाभ उठा सकें।
- ii. अतिविशिष्ट / उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना।
- iii. कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों की उन्नत तकनीकी को जल्द से जल्द कृषकों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित करना।
- iv. किसानों के बीच प्रतियोगिता की भावना विकसित करना।
- v. किसानों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाना।

3. कार्यक्रम का लक्ष्य—

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर किसानों को पुरस्कृत करने हेतु निर्धारित लक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र० सं०	स्तर	प्रति किसान पुरस्कार का दर (रु० लाख में)	लक्ष्य		प्रक्षेत्र/व्यवसाय का नाम एवं पुरस्कार की सं०
			भौतिक	वित्तीय (रु० लाख में)	
1.	प्रखंड	0.03	534x5 = 2670	80.10	संकर धान — 01 गेहूँ — 01 आलू — 01 गाय पालन — 01 प्याज — 01
2.	जिला	0.15	05	28.50	संकर धान — 01 गेहूँ — 01 आलू — 01 गाय पालन — 01 प्याज — 01
3.	राज्य	0.25	05	1.25	संकर धान — 03 (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) गेहूँ — 03 (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) आलू — 03(प्रथम/द्वितीय/तृतीय) गाय पालन — 03(प्रथम/द्वितीय/तृतीय)

4. पुरस्कार का विवरण—

समारोह आयोजित कर किसान को निम्न रूपों में पुरस्कृत किया जाएगा—

क्र० सं०	स्तर	पुरस्कार का विवरण (प्रति किसान)			
		नगद	साल / मोमेण्टो / अन्य	प्रशस्ति पत्र	पुरस्कार का प्रकार
1.	प्रखंड	2,000 रू०	01 अदद	01 अदद	किसान श्री
2.	जिला	10,000 रू०	01 अदद	01 अदद	किसान गौरव
3.	राज्य	20,000 रू०	01 अदद	01 अदद	किसान श्रेष्ठ

5. किसान पुरस्कार हेतु कार्यक्रम/इकाई का लक्ष्य –कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों को आच्छादित करने एवं किसानों का चयन पारदर्शी तरीके से करने हेतु 05 वित्तीय वर्षों के लिए वर्षवार, कार्यक्रम/इकाईवार लक्ष्य का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है बशर्ते की योजना अगले वित्तीय वर्षों के लिए भी स्वीकृत की जाती है—

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	खरीफ मौसम		रबी मौसम		गर्मा मौसम	
		इकाई / कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई / कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई / कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य
1.	2016-17	संकर धान	01	गेहूँ आलू गायपालन (विदेशी)	01 01 01	प्याज	01
2.	2017-18	अधिक उपजशील धान	01	टमाटर चना मत्स्यपालन	01 01 01	संकर मक्का	01

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	खरीफ मौसम		रबी मौसम		गर्मा मौसम	
		इकाई / कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई / कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई / कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य
3.	2018-19	अरहर	01	गेहूँ मसूर बैंगन	01 01 01	मूँग	01
4.	2019-20	संकर धान	01	संकर मक्का फूलगोभी राई / सरसो	01 01 01	बकरीपालन	01
5.	2020-21	संकर मक्का	01	गेहूँ मत्स्यपालन गायपालन (देशी)	01 01 01	बैंगन	01

6. कृषक पुरस्कार हेतु शर्त एवं मापदण्ड

- I. खाद्यान्न/दलहनी/तेलहनी फसल— इस क्षेत्र में चयन का आधार गुणवत्तापूर्ण अधिकतम उत्पादकता (क्वि0/एकड़) होगी। उत्पादकता का निर्धारण खेत में 10m X 5m = 50 वर्गमीटर में फसल कटनी आयोजित कर किया जाएगा।
- ii. सब्जी फसल— सब्जी के लिए गुणवत्तापूर्ण सबसे बड़ा एक इकाई का वजन होगा।
- iii. गायपालन — गायपालन के लिए एक गाय का एक शाम का अधिकतम दूध उत्पादन की मात्रा होगी। इसके उत्पादकता के निर्धारण के लिए एक तिथि निर्धारित कर प्रखंड के पशुपालकों से एक-एक दूधारू गाय लाने को कहा जाएगा तथा समूह में मूल्यांकन समिति की उपस्थिति में दूध दुहाई का कार्य सम्पन्न होगा तथा उत्पादकता का निर्धारण किया जाएगा।
- iv. बकरीपालन — इसके लिए एक बकरी/बकरा का अधिकतम वजन होगा।
- v. मत्स्यपालन — मत्स्यपालन के लिए तालाब में 20 दिनों के अंतराल पर 03 बार जाल डाला जाएगा तथा प्रति वर्गमीटर में औसत मात्रा निकाल कर अधिकतम उत्पादकता का निर्धारण किया जाएगा।

7. किसान की पात्रता

क. खेती / प्रक्षेत्र के लिए –

- I. कृषि प्रक्षेत्र** – संबंधित किसान कृषि (खाद्यान्न, दलहन, तेहलन) क्षेत्र में कम-से-कम आधा एकड़ में फसल लगाया हो।
- ii. उद्यान प्रक्षेत्र** – संबंधित किसान कम से कम 0.25 एकड़ में सब्जी की खेती किया हो।
- iii. मस्यपालन** – इसके लिए किसान के पास कम से कम एक तालाब उपलब्ध हो।
- iv. गायपालन** – इसके लिए किसान के पास कम से कम एक दूधारू गाय उपलब्ध हो।
- v. बकरीपालन** – इसके लिए किसान के पास कम से कम एक बकरा / बकरी उपलब्ध हो।

ख. उत्पादकता के लिए – आवेदक को अपने फसल / ईकाई का प्रति ईकाई औसत उत्पादकता निम्न से कम नहीं होना चाहिए।

क्र० सं०	व्यवसाय / ईकाई का नाम	न्यूनतम उत्पादकता प्रति ईकाई	अभ्युक्ति
1.	संकर धान	75 क्वि० प्रति हेक्टेयर	निर्धारित उत्पादकता से अधिक उत्पादकता प्राप्त होने पर सुरक्षित जमा राशि संबंधित किसान को वापस कर दी जाएगी अन्यथा इससे कम उत्पादकता होने पर राशि वापस नहीं होगी।
2.	अधिक उपजशील धान	60 क्वि० प्रति हेक्टेयर	
3.	संकर मक्का	75 क्वि० प्रति हेक्टेयर	
4.	अरहर	15 क्वि० प्रति हेक्टेयर	
5.	गेहूँ	40 क्वि० प्रति हेक्टेयर	
6.	आलू	250 क्वि० प्रति हेक्टेयर	

क्र० सं०	व्यवसाय / ईकाई का नाम	न्यूनतम उत्पादकता प्रति ईकाई	अभ्युक्ति
7.	चना	15 क्वि० प्रति हेक्टेयर	निर्धारित उत्पादकता से अधिक उत्पादकता प्राप्त होने पर सुरक्षित जमा राशि संबंधित किसान को वापस कर दी जाएगी अन्यथा इससे कम उत्पादकता होने पर राशि वापस नहीं होगी।
8.	मसूर	12 क्वि० प्रति हेक्टेयर	
9.	राई / सरसो	10 क्वि० प्रति हेक्टेयर	
10.	गाय पालन (विदेशी)	10 लीटर दूध प्रति गाय प्रति शाम (औसत)	
11.	गाय पालन (देशी)	05 लीटर दूध प्रति गाय प्रति शाम (औसत)	
12.	प्याज	200 क्वि० प्रति हेक्टेयर	
13.	गरमा मूँग	5 क्वि० प्रति हेक्टेयर	

8. आवेदन देने एवं चयन की प्रक्रिया –

8.1. किसानों का निबंधन – इच्छुक किसान विहित प्रपत्र अनुसूची-1, 2 तथा 3 में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, डेयरी आदि क्षेत्रों में चिन्हित व्यवसाय के लिए ऑन-लाईन आवेदन करेंगे। ऑफ लाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एक किसान एक से अधिक प्रक्षेत्र के लिए भी आवेदन दे सकते हैं।

क. आवेदक को आवेदन के साथ निम्न कागजात संलग्न करना होगा—

- 200 रू0 बैंक ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित जमा राशि। ऑन लाईन आवेदन भरते समय बैंक ड्राफ्ट का ड्राफ्ट सं0 एवं तिथि तथा बैंक का नाम भरना होगा तथा 200 रू0 का बैंक ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी आवेदन के साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ जमा करना होगा।
- पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसान क्रेडिट कार्ड/राशन कार्ड आदि में से किसी एक की प्रति ऑन लाईन अपलोड करना होगा।
- ऑन लाईन आवेदन किसान अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड कृषि पदाधिकारी ऑन लाईन आवेदन भराने में किसानों की मदद करेंगे।
- प्रत्येक व्यवसाय/प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित उत्पादकता के बराबर अथवा इससे अधिक उत्पादन होने पर किसान द्वारा जमा की गई सुरक्षित राशि किसान को वापस कर दी जाएगी। निर्धारित उत्पादकता से उत्पादन कम होने पर सुरक्षित जमा राशि रू0 200 रिसिप्ट हेड में परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा जमा की जाएगी।

9. प्रखंड स्तर पर आवेदन लेने के लिए समय सीमा का निर्धारण –

किसान का चयन कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं गव्य विकास प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग करना है। इसलिए संबंधित क्षेत्र के फसल ईकाई/व्यवसाय विशेष की परिपक्वता के आधार पर निबंधन हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार ही आवेदन पत्र लिए जायेंगे। मौसमवार आवेदनपत्र देने की तिथि निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है—

क्र० सं०	मौसम	आवेदन देने की तिथि	आवेदकों की जाँच एवं स्वीकृति की तिथि	अभ्युक्ति
1.	खरीफ	15 सितम्बर से 15 अक्टूबर	आवेदन पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर	(पुष्पन से लेकर दाना बनने के पहले)
2.	रबी	15 नवम्बर से 15 जनवरी	''	''
3.	गर्मा	15 मार्च से 15 अप्रैल	''	''

10. उत्पादकता मूल्यांकन/निर्धारण हेतु समिति का गठन – किसानों से प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण/मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु प्रखण्ड स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है –

- | | | |
|---|---|--------|
| • प्रखंड कृषि पदाधिकारी | — | संयोजक |
| • प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी | — | सदस्य |
| • उद्यान पदाधिकारी / उद्यान निरीक्षक / | | |
| • सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी | — | सदस्य |
| • मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / | | |
| जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी | — | सदस्य |
| • प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / पदाधिकारी | — | सदस्य |
| • प्रखंड तकनीकी प्रबंधक / | | |
| प्रखंड मुख्यालय के वरीय सहायक तकनीकी प्रबंधक / | | |
| • प्रखंड मुख्यालय का कृषि समन्वयक | — | सदस्य |

उपर्युक्त सदस्यों में से 03 सदस्यों की उपस्थिति/जाँच से कोरम पूरा माना जाएगा, परन्तु संयोजक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

11. उत्पादकता का मूल्यांकन / निर्धारण

निर्धारित अवधि में संबंधित किसान द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उत्पादकता निर्धारण हेतु आवेदन दिया जाएगा। आवेदक के आवेदन के आलोक में प्रखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर उत्पादकता का निर्धारण कंडिका सं० ०६ में वर्णित शर्तों / मापदण्डों के आलोक में किया जाएगा।

12. प्रखंड स्तर पर प्रक्षेत्रवार / व्यवसायवार वरीयता का निर्धारण –

प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर चिन्हित प्रत्येक प्रक्षेत्र / व्यवसाय के लिए अलग-अलग सर्वश्रेष्ठ प्रथम 5-5 गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता वाले किसानों की सूची तैयार की जाएगी तथा इसे प्रखंड / ई किसान भवन के सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा।

13. जिला स्तर पर प्रक्षेत्र / व्यवसाय के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया :-

13.1. प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक चिन्हित प्रक्षेत्र / व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथम 5-5 किसानों की वरीयता सूची, मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन, किसान का आवेदन पत्र एवं सम्बद्ध कागजात परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।

13.2. प्रक्षेत्रवार / व्यवसायवार कृषक चयन हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन –
इसके गठन का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा—

- | | | |
|---|---|------------|
| • जिला कृषि पदाधिकारी | — | अध्यक्ष |
| • जिला पशुपालन पदाधिकारी | — | सदस्य |
| • जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी | — | सदस्य |
| • सहायक निदेशक, उद्यान | — | सदस्य |
| • कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र | — | सदस्य |
| • परियोजना निदेशक, आत्मा | — | सदस्य सचिव |

उपर्युक्त में से 04 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा माना जाएगा, परन्तु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य है।

- 13.3. परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रखंडवार सर्वश्रेष्ठ प्रथम 5—5 एवं जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रथम 4—4 किसानों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी तथा इसे जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- 13.4. जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक प्रखंड के लिए प्रत्येक व्यवसाय/प्रक्षेत्र के लिए अधिकतम उत्पादकता वाले 05—05 किसानों की वरीयता सूची बनाई जाएगी तथा प्रत्येक प्रक्षेत्र/व्यवसाय के लिए अधिकतम उत्पादकता वाले प्रखंड स्तर पर 01—01 किसान का चयन किया जाएगा।
- 13.5. इसी प्रकार से जिला स्तर पर समिति द्वारा प्रक्षेत्रवार/व्यवसायवार अधिकतम उत्पादकता वाले 4—4 किसानों की वरीयता सूची बनाकर प्रत्येक प्रक्षेत्र/व्यवसाय के लिए 01—01 किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों की सूची समाहरणालय/जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी।
- 13.6. अगर किसी प्रखंड के किसी प्रक्षेत्र/व्यवसाय के सर्वश्रेष्ठ किसान जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किये जाते हैं तो इस प्रखंड के उस व्यवसाय/ईकाई के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वरीयतम किसान प्रखंड में उस व्यवसाई/प्रक्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जाएँगे।

14. अपीलीय प्राधिकार—

जिला/प्रखंड स्तर पर किसान पुरस्कार के चयन में अनियमिता/शिकायत के जाँच हेतु जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद अपीलीय प्राधिकार होंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा। कृषक चयन संबंधी सूची प्रकाशन के 10 दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार के यहाँ अपील करना अनिवार्य होगा तथा अपीलीय प्राधिकार आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आवेदन का निस्तार करेंगे।

15. राज्य स्तर पर कृषक चयन की प्रक्रिया—

- 15.1. परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा प्रक्षेत्र/व्यवसायवार चयनित सर्वश्रेष्ठ 3 किसानों की सूची, मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन, जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही तथा आवेदक का आवेदनपत्र एवं सम्बद्ध कागजात सिलबंद लिफाफे में जिला स्तरीय समिति के चयन के एक सप्ताह के अंदर निदेशक बामेती को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 15.2. जिन जिलों द्वारा किसानों के नाम एवं सूचना निदेशक बामेती को निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 15.3. निदेशक बामेती द्वारा ईकाई/व्यवसायवार सर्वश्रेष्ठ किसानों की वरीयता सूची बनाई जाएगी।

- 15.4. राज्य स्तर पर समिति का गठन – प्राप्त आवेदनपत्रों की जाँच एवं वरीयता निर्धारण तथा चयन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से होगा—

- | | | |
|---|---|--------|
| • निदेशक, बामेती | — | संयोजक |
| • प्रभारी पदाधिकारी (आत्मा योजना) | — | सदस्य |
| • संयुक्त निदेशक (शस्य) योजना | — | सदस्य |
| • बामेती में वरीय उप निदेशक / स्टेट कॉऑर्डिनेटर /
जेण्डर कॉऑर्डिनेटर | — | सदस्य |

राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक व्यवसाय / प्रक्षेत्र के लिए 03-03 किसानों की वरीयता सूची बनाई जाएगी तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किसान के रूप में चयन किया जाएगा।

15.5. जिस जिला के जिस व्यवसाय/प्रक्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किसान राज्य स्तर पर चयनित किये जाएँगे तो उस जिला के उस प्रक्षेत्र/व्यवसाय के दूसरे/तीसरे/चौथे किसान जिला में सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जाएँगे।

16. राज्य स्तर पर चयनित कृषकों के लिए अपीलीय प्राधिकार –

राज्य स्तर पर किसान पुरस्कार के लिए चयनित कृषकों के चयन में अनियमितता/शिकायत की जाँच हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना अपीलीय प्राधिकार होंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा। कृषक चयन संबंधी सूची प्रकाशन के 10 दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार के यहाँ अपील करना अनिवार्य होगा तथा अपीलीय प्राधिकार आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आवेदन का निस्तार करेंगे।

17. सामान्य अनुदेशः—

- 17.1. इस योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक किसानों को निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- 17.2. फसल परिपक्वता की सूचना संबंधित आवेदक को कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।
- 17.3. इस योजना के 5 वर्षों के लिए कृषि एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों में विभिन्न प्रक्षेत्रों/व्यवसायों के लिए पुरस्कार देने हेतु प्रावधान किया गया है बशर्ते कि आत्मा योजना एवं इसके अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम प्रतिवर्ष भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विस्तारित होता रहे।

- 17.4. प्रखंड स्तर पर किसानों के चयन का आधार गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादकता रखा गया है जिसका मूल्यांकन प्रखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रक्षेत्र / व्यवसाय का निरीक्षण कर किया जाएगा।
- 17.5. परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा पूरे उत्पादकता निर्धारण / मूल्यांकन प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराया जाएगा।
- 17.6. मूल्यांकन समिति के सदस्यों के भ्रमण एवं इसमें होने वाले खर्च का समायोजन आत्मा योजना के कैफेटेरिया ऑफ एक्टिविटी के बी-14 (ऑपरेशनल मद) से किया जाएगा।
- 17.7. जिला स्तर पर समारोह आयोजित कर चयनित कृषकों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले किसान मेला / प्रदर्शनी के अवसर भी उसका समारोह का आयोजन किया जा सकता है।

